## DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

**BULLETIN PART-II** 

(General information relating to legislative and other matters)
Wednesday, 17<sup>th</sup> August, 2011/Bhadrapada 01, 1933 (Saka)

No. 135

Sub: DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS.

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, were received from the Dy. Commissioner of Police, North District, Delhi:-

"I have the honour to inform you that Hon'ble Members of Legislative Assembly Delhi; Prof. Vijay Kumar Malhotra, Dr. Harshvardhan, Shri H.S. Balli, Shri Jai Bhagwan Aggarwal, Shri Dharam Deo Solanki, Shri Sahab Singh Chauhan, Shri Kulwant Rana, Shri S.P. Ratawal, Shri Ramesh Bidhuri, Shri Ravinder Nath Bansal, Shri Sat Prakash Rana, Shri Subhash Sachdeva, Shri Anil Jha, Shri Shyam Lal Garg, Shri Srikrishan Tyagi, Shri Manoj Shokeen, Dr, S.C.L. Gupta, Shri Pradyumn Rajput, Shri O.P. Babber, Shri Mohan Singh Bisht and Sh. Sunil Kumar Vaidya, were detained u/r Section 65 of DP Act, 1978 to maintain law and order and public peace, at Police Station, Civil Lines, Delhi at 01:15 PM on 17.8.2011 while protesting in connection with the arrest of Shri Anna Hazare in the Vidhan Sabha premises.

They were released at 01:45 PM from the same place on the same day."

P. N. MISHRA Secretary

## दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-2 विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी बुद्धवार, 17 अगस्त, 2011/भाद्रपद 01, 1933 (शक)

संख्या-135

सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित उप—आयुक्त, उत्तरी जिला, दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:—

"मुझे आपको ससम्मान यह सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्यों प्रो.विजय कुमार मल्होत्रा, डा. हर्ष वर्द्धन, श्री हरशरण सिंह बल्ली, श्री जयभगवान अग्रवाल, श्री धर्मदेव सोलंकी, श्री साहब सिंह चौहान, श्री कुलवत राणा, श्री एस.पी. रातावाल, श्री रमेश बिधुडी, श्री रवीन्द्रनाथ बंसल, श्री सतप्रकाश राणा, श्री सुभाष सचदेवा, श्री अनिल झा, श्री श्यामलाल गर्ग, श्री श्रीकृष्ण त्यागी, श्री मनोज शौकिन, डॉ. एस.सी.एल. गुप्ता, श्री प्रद्युम्न राजपूत, श्री ओ.पी.बब्बर, श्री मोहन सिंह बिष्ट तथा श्री सुनील कुमार वैद्य को दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा—65 के अंतर्गत कानून, व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने के उद्देश्य से दिनांक 17.08.2011 को अपराहन 01:15 बजे विधानसभा परिसर में श्री अन्ना हजारे की गिरफतारी के संबंध में प्रदर्शन करते हुए थाना, सिविल लाईंस, दिल्ली में गिरफतार किया गया।

उन्हें उसी दिन, उसी स्थान से अपराहन 01:45 बजे रिहा कर दिया गया ।"

पी.एन.मिश्रा सचिव